(18)

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
जिला ग्वालियर

प्र. क्र. /निगरानी/अध्यक्ष/2016

श्रीमती जनकदुलारी पत्नी श्री अशोकसिंह चौहान, निवासी कॉचमिल गेट के पास हजीरा ग्वालियर कृषक ग्राम लडुआ पुरा तहसील व जिला ग्वालियर .....प्रार्थिनी

बनाम

केदारकुशवाह पुत्र श्री पुन्नु कुशवाह निवासी ग्राम लडुआपुरा तहसील व जिला ग्वालियर म0प्र0 .....प्रतिप्रार्थी

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय अधीक्षक भू–अभिलेख ग्वालियर के प्रकरण कमांक 51/2014X1911में पारित आदेश दिनांकी 14.11.2014 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी

श्रीमान जी,

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 934-पीबीआर/2016 [जनक दुलारी/केदार कुशवाह] **जिला ग्वालियर**

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-7-18	उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2- आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अधीक्षक भू-अभिलेख ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-11-2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3- आवेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत सीमांकन से पूर्व चौमडियॉ कृषकों को व्यक्तिश: सूचना दी जाना आवश्यक है परन्तु अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा आवेदिका को सूचना जारी किये बगैर सीमांकन कार्यवाही की है जो निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बोलता हुआ आदेश जारी नहीं किया है, केवल सीन लिखकर जोआदेश दिया है उक्त आदेश आदेश की परिभाषा में नहीं आने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। 4- अनावेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिवत होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये । 5- उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन विधिवत् विशेष दल द्वारा किया गया है । प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किये जाने की जानकारी आवेदकपक्ष को थी । आवेदिका के पति अशोकसिंह चौहान की लिखित आपत्ति तहसील न्यायालय के प्रकरण में संलग्न है । अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14-11-2014 को किये गये सीमांकन की निगरानी दि. 17-3-16 को प्रस्तुत किये जाने से निश्चित रूप से समय बाह्य होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	